कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री नेम सिंह, व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, मसारी–कठूमर, अलवर का स्थानान्तरण राउमावि, अजबपुरा–थानागाजी, अलवर किया गया। श्री नेम सिंह ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या–17809/2019 श्री नेम सिंह बनाम सरकार एवं अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या–17809/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–24.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री नेम सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति मे इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री नेम सिंह द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर न्यायालय निर्णय की पालना में पदस्थापन 1–राउमावि, मसारी–कठूमर, अलवर, 2–राउमावि, इसरौता–कठूमर, अलवर, 3–राउमावि, टिरपुरी–कठूमर, अलवर में करने हेतु परिवेदना प्रस्तुत की गई है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी श्री नेम सिंह का समायोजन राउमावि, इसरौता–कठूमर, अलवर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–7/हिन्दी/स्था.को.के./नेम सिंह/17809/2019 दिनांक– 18.11.19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जयपुर
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबधित प्रधानाचार्य–
9. संबंधित कार्मिक–
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर